

क्रम सं० तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
	2	3
8.21	आदेश प्रस्तुत आर०एम० वाद संख्या-81/2019-20; आवेदक-अखिल चन्द्र सिंह, पिता-स्व० अरुण कुमार सिंह, ग्राम-नोनियाटांड, अंचल-सारठ के द्वारा मौजा-दुन्दवाजोरी, थाना नं०-555 के मूल रैयती सत्व का नामांतरण हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, सारठ से ज्ञापांक-169/डी०बी० दिनांक-17.03.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई, जो उनके पत्रांक-777/रा०, दिनांक-20/10/2020 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, सारठ ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा-दुन्दवाजोरी, थाना नं०-555 एक मूल रैयती मौजा है तथा प्रधानी/मूल रैयती पंजी में उक्त मौजा के मूल रैयत अरुण कुमार सिंह, पिता-स्व० देवेन्द्रनाथ सिंह का नाम दर्ज है। आवेदक-अखिल चन्द्र सिंह अंतिम मूल रैयत के ज्येष्ठ पुत्र है। अंतिम मूल रैयत की मृत्यु हो चुकी है (मृत्यु प्रमाण-पत्र अभिलेखबद्ध)। अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा पूर्व मूल रैयत के स्थान पर आवेदक-अखिल चन्द्र सिंह के नाम से मूल रैयती नामान्तरण की स्वीकृति करने का अनुशंसा किये हैं। अतः अंचल अधिकारी, सारठ से प्राप्त अनुशंसा एवं मौजा के किसी रैयत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदक-अखिल चन्द्र सिंह, पिता-स्व० अरुण कुमार सिंह, ग्राम-नोनियाटांड, अंचल-सारठ को मौजा-दुन्दवाजोरी, थाना नं०-555 का मूल रैयती सत्व का नामांतरण की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सारठ को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  27.8.21 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।  27.8.21 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	ज्ञापांक 505/81/21 दिनांक 27.10.21